कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।

संख्या–1282/ल.सिं./निविदा/2021–22 **अल्पकालीन निविदा** दिनांक: 11/11/2021

अधोहस्ताक्षरी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से निम्न कार्यों की सील बन्द निविदायें दिनांक 29.11.2021 को विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से अपराहन 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 3.00 बजे अपराहन लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून में अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी। उक्त कार्य की निविदायें दिनांक 26.11.2021 से दिनांक 27.11.2021 को सांय 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय देहरादून से बिक्री की जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत 3% धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी.एस.टी.	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	निविदा की वैधता (माह में)	पंजीकरण श्रेणी
1.	घंघोड़ा में ओनार्थ के घर से पंचायती जमीन तक सड़क निर्माण कार्य।	51000.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
2.	बिलासपुर कांडली में बगीचा कॉम्पलैक्स से ट्रांसफार्मर तक सड़क निर्माण कार्य	44500.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
3.	गंगोल पंडितवाडी शिव मंदिर में टिन शैड एवं सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	45500.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
4.	गजियावाला में टिन शैड व सी.सी. निर्माण कार्य	83500.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
5.	गुनियालगांव में मुख्य मार्ग से श्री भोपाल सिंह पुंडीर के घर तक सी.सी. सड़क व पुश्ता निर्माण कार्य।	48000.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
6.	बड़ा मारूवाला में असगल अली के मकान से मौ0 यासीन, आमिर हुसैन आदि के मकान सी.सी. व टाईल्स सड़क निर्माण।	40000.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
7.	चमन विहार में ओम प्रकाश के घर के पास से जी.एम.एस. रोड तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	40000.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
8.	ऋषिपुरा में जैन मंदिर हॉल का अवशेष निर्माण कार्य।	33600.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
9.	वार्ड संख्या 09 आर्य नगर में मुख्य मार्ग से पीपलेश्वर शिव मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य।	35500.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
10.	राजपुर पर मेन रोड से श्री जुयाल के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	48000.00	1500+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
11.	वार्ड संख्या 05 धोरणखास के चंदन विहार कंडोली में विशाल चौहान के घर के पास सड़क व नाली निर्माण कार्य।	82000.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
12.	वार्ड संख्या 19 मच्छी बाजार के पास गोपाल भवन कैंपस में फर्श एवं सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य।	68000.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
13.	आमवाला मझला में दूधादेवी मंदिर के पीछे बरसाती नदी पर आर.सी.सी. बॉक्स द्वारा पूर्व निर्मित पुलियाकी ऐपरन, विंग वाल तथा रेलिंग का निर्माण।	74500.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
14.	विजयनगर, अधोईवाला में बेगराज के घर के पास सी.सी. सड़क निर्माण कार्य। श्री मामचन्द टपरी के घर तक पुल निर्माण कार्य।	70000.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
15.	गोर्खाली सुधार सभा गढ़ी कैंट देहरादून में भवन निर्माण, द्वितीय भाग।	75000.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
16.	वार्ड सं. 05 सालावाला में मेन रोड से टी.आर. चावला आदि के घर तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	72000.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर
17.	वार्ड 13 अंबेडकर कालोनी की अंबेडकर धर्मशाला में हॉल व 2 कमरों का निर्माण कार्य।	10500.00	2000+ जी.एस.टी.	06 माह	45 दिन	सी एवं उच्चतर

निविदा की शर्तें:–

1. ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ कार्य की अनुमानित लागत का 3 प्रतिशत धरोहर धनराशि का राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र , डाकघर सावधि जमा पासबुक तथा किसी भी बैंक द्वारा निर्गत एफ.डी.आर., सी.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून के नाम बंधक हो, स्वीकार की जायेगी।
2. निविदा के साथ रू. 100.00 का स्टाम्प पेर पर रू. 1.00 की रसीदी टिकट हस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
3. धरोहर धनराशि के बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा के शेष नियम निविदा प्रपत्र पर भी देखे जा सकते हैं।
5. बिना सील्ड /बन्द लिफाफे के प्राप्त निविदा प्रपत्रों व सशर्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. लिफाफे पर कार्य का नाम लिखना अनिवार्य होगा।
7. यदि कोई ठेकेदार निविदा प्रपत्र डाक से मांगना चाहता है, तो वह निविदा प्रपत्र का मूल्य डाक व्यय सहित समय से भेजकर प्राप्त कर सकते हैं,विलम्ब से डाक प्राप्त होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदा में शेड्यूल बी0 की मदवार कार्य की अंकित मात्रा घटाई व बढ़ाई जा सकती है,जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
9. निविदा स्वीकृत होने पर 7 दिन के अन्दर धरोहर धनराशि समायोजित करते हुए पूरी 10 प्रतिशत जमानती धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी और 10 प्रतिशत धनराशि जमा करने के बिना अनुबन्ध किसी भी परिस्थितियों में नहीं किया जायेगा।
10. प्राविधिक परीक्षक (टी0ए0सी0) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पायी जाती है, या कोई वसूली निकाली जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर टी0ए0सी0 की जांच के उपरांत ही ठेकेदार की जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
11. ठेकेदार के बीजक से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी./रायल्टी एवं अन्य की कटौती की जायेगी।
12. पंजीकृत ठेकेदार को निविदा क्रय करते समय पंजीकरण प्रमाण–पत्र (लाईसेन्स) साथ लाना अनिवार्य होगा। लाईसेन्स बिना दिखाये निविदा फार्म दिया जाना सम्भव नहीं होगा। चालू वित्तीय वर्ष का जिला पंचायत पंजीकरण भी साथ लाना होगा।
13. निविदा की दरें ठेकेदार द्वारा मदवार देनी होंगी। निविदा की दरें प्रतिशत में मान्य होंगी। एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
14. ऐसे ठेकेदार जो पूर्व से विभाग में कार्य कर रहे हों और वे अनुबन्ध की शर्तानुसार समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे हों अथवा कार्य की गुणवत्ता स्तरीय न रही हो, उसकी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–के पैरा 364 में दिये गये प्राविधानुसार निर्णय लिया जायेगा।
15. निविदा की दरें स्वीकृत प्राक्कलन की दरों से 5 प्रतिशत से अधिक/कम होने पर '**शासनादेश संख्या 6447/iii(2)ii-20(सा0)/11 दिनांक 02 जनवरी 2013** के अनुसार **परफारमेन्स सिक्योरिटी** विभाग को डिपोजिट जमा करनी होगी।
16. यदि शासन/उच्च स्तर से किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं या उक्त कार्य को स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार के किये गये कार्य के लिये ही भुगतान का दावेदार होगा तथा अवशेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
17. निविदा प्रपत्र भरते समय आयकर पैन नम्बर/जी.एस.टी.एन. नम्बर/मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से निविदा प्रपत्र के साथ देना होगा।
18. कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत सक्षम प्रयोगशाला से टैस्टिंग रिपोर्ट अंतिम भुगतान से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
19. Defect Liability Period के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 1426/111(2)/11–20(सा0)/11 दिनांक 28 फरवरी 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
20. निविदा लेने से पूर्व ठेकेदार कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें, अनुबन्ध करने के बाद कोई भी आपत्ति/क्लेम मान्य नहीं होगा।
21. यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा प्राप्त करने या खोलने के दिवस को राजकीय अवकाश घोषित होता है, उस स्थिति में निविदा प्राप्त /खोलने की प्रक्रिया की तिथि अगले कार्य दिवस को की जायेगी।
22. बिल पर नियमानुसार देय जी.एस.टी. का भुगतान विभाग द्वारा बिल की धनराशि में जोड़कर किया जायेगा, जिसको जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।

पूर्व सैनिक ने पत्नी को मारने के बाद खुद को भी गोली मारी

पड़ोसियों ने समझा बंदरों को भगाने के लिए पटाखे जलाए

घटना

संवाददाता

ऋषिकेश। रानीपोखरी थाना अंतर्गत इठारना मार्ग ग्राम सभा रखवाल निकट भोगपुर में एक पूर्व फौजी ने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद फौजी ने खुद को भी लाइसेंसी दुनाली बंदूक से गोली मार दी। जिससे पूर्व फौजी की पत्नी और फौजी दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना गुरुवार सुबह नौ बजे के आसपास की बताई जा रही है। फारेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर बारीकी से घटनास्थल और आसपास क्षेत्र का निरीक्षण किया। सीओ ऋषिकेश डीसी ढौंडियाल ने बताया की मृतक सेना से आर्नरी कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त था। मृतक की पहचान बृजेश कृषाली उर्फ बृजी (58) और उनकी पत्नी का नाम कुसुम कृषाली (55) के रूप में हुई। पूर्व फौजी ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी उसके बाद स्वयं को गोली मारी। गृह क्लेश जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। पूछताछ में पता चला है कि कई दिनों से गुमसुम रहता था। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पंचायत नामा की कार्रवाई की।

रखवाल गांव के निवासी सुजीत सिंह ने बताया कि वह अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्हें पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी। जिस पर उन्होंने समझा कि बंदरों को भगाने के लिए किसी ने पटाखे जलाए हैं, लेकिन कुछ देर बाद रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर वह घटनास्थल की ओर भागे जहां का मंजर देखने के बाद उन्होंने तत्काल 108 आपातकालीन सेवा में फोन करा, जिसके बाद उन्होंने थाना रानीपोखरी पुलिस को मामले की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस और 108 सेवा मौके पर पहुंची। पूर्व फौजी का शव घर की क्यारी में व पत्नी कुसुम कृषाली का शव आंगन में पड़ा थी। कुसुम कृषाली के एक गोली गले में व पेट में एक गोली मारी गई थी। जबकि बृजेश के गले में एक गोली लगने से मौत हुई है।

सुबह ही घर पहुंचा था फौजी

ब्रिजेश कृषाली बुधवार की रात भोगपुर स्थित अपने परिचित के घर में ही रुके थे और गुरुवार सुबह 7रू30 बजे अपने घर आए थे, जिसके बाद प्रातः नौ बजे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।

दिसंबर–जनवरी में 20–40 प्रतिशत तक बढ़ सकता है टर्म इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम

संवाददाता देहरादून। महामारी कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद तेजी से बढ़ी मृत्यु दर के कारण ग्लोबल रीइंश्योरेंस कंपनी के आग्रह पर इश्योरेंस कंपनियां अपने टर्म प्लान पर प्रीमियम बढ़ाने जा रही हैं। जहां कुछ कंपनियां अगले महीने तक ऐसा करेंगी तो वहीं दूसरी ओर अन्य कंपनियां जनवरी के बाद प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। वैश्विक रीइंश्योरेंस कंपनी म्यूनिख रे ने अपने इंश्योरेंस पार्टनर्स को सितंबर में इस बढ़ोतरी के बारे में बताया था जिसके बाद से ही बीमाकर्ता प्रीमियम में वृद्धि की राशि को लेकर रीइंश्योरेंस कंपनियों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। पहले भारत में टर्म प्लान की कीमतें दुनिया में सबसे कम थीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुए बदलावों के दौरान इसे कई गुना अधिक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, बीमा इंडस्ट्री का कहना है कि यह वृद्धि दर आगे आने वाले कुछ वर्षों तक दुबारा नहीं बढ़ाई जायेगी, जब तक कि कोई बेहद खराब स्थिति नहीं आ जाती। बीमाकर्ता कुछ बढ़ोतरी का भार खुद भी उठा सकते हैं।

शीघ्र शिक्षको की तैनाती न करने पर आंदोलन की चेतावनी

संवाददाता पुरोला। चंदेली न्याय पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पाणीगांव में शिक्षक न होने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने यहां शीघ्र शिक्षको की तैनाती न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

प्राथमिक विद्यालय पाणीगांव में तैनात दोनो शिक्षको की पदौन्नति होने के कारण विद्यालय शिक्षक विहीन बना हुआ है। यहां करीब 28छात्र,छात्राएं अध्ययन करते है हालांकि शिक्षा विभाग ने इन छात्र, छात्राओ की पढ़ाई का जिम्मा गांव के जूनियर हाईस्कूल में कर रखा है। ग्रामीण मनमोहन सिंह, सुमन सिंह, आनंद सिंह, जैपाल सिंह ने बताया कि

पाणीगांव में शिक्षक न होने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त

जूनियर हाईस्कूल में भी शिक्षको की कमी के कारण वहां बच्चो का सुचारू पठन पाठन नही हो पा रहा है। उन्होने प्राथमिक विद्यालय में शीघ्र शिक्षको की नियुक्ति न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। खंडशिक्षाधिकारी जेपी काला ने बताया कि पाणीगांव के जूनियर हाईस्कूल में बच्चो का संयुक्त संचालन किया जा रहा है। उन्होने बताया कि अब नई नियुक्तियां होने जा रही है शीघ्र ही विद्यालय में शिक्षको की तैनाती की जाएगी।

चुनाव प्रभारी ने की घोषणापत्र और तैयारियों को लेकर प्रवन्धन समिति के साथ चर्चा

- श्रीनगर में पौड़ी, रूद्रप्रयाग और चमोली के विस कोर कमेटी के साथ बैठक
- उत्तराखंड की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप बनाया जाएगा घोषणा पत्र

संवाददाता भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी ने चुनाव प्रबंधन समिति, संसाधन, विशेष कार्य व घोषणा पत्र की बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव पर चर्चा की।

आगामी विधानसभा चुनाव दृष्टिगत चुनाव घोषणा पत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा गई। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक में घोषणा पत्र के विषय में कहा कि वह उत्तराखंड की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप बनाया जाएगा। इसके अलावा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमो के धरतलीय क्रियान्वयन, महा जनसम्पर्क अभियान तथा प्रधानमंत्री के आगामी उतराखंड दौरे के तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी ने श्रीनगर में भी पौड़ी, चमोली और रूद्रप्रयाग जिलों की विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक में ग्रास रूट पर चल रहे कार्य और महा जनसम्पर्क अभियान सहित भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई।

बैठक में चुनाव–सह प्रभारी लाकेट चटर्जी, आरपी सिंह, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार, सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, अजय टम्टा व सभी समितियों के प्रमुख सह प्रमुख उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक ने कहा कि चुनावों में प्रत्याशियों के चयन से पहले हर विधानसभा में टीमें भेजी जाएंगी जो प्रत्याशियों का आंकलन करेगी।

सभी टीमें प्रत्येक विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों विधानसभा में निर्वाचित वरिष्ठ व प्रमुख जनों से संभावित प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करेंगे और पार्टी कार्यालय में सौंपेंगे, जिसे चयन समिति के रखा जाएगा। इसके बाद प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा।